20/4/22

पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकैन उपस्थित।
प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र धारा 128 LR एक्ट
बाबत आराजी ख0नं0 318/636, 318/635,
318/663, 319/666, 318/850, 319/630,
319/628, 321/676, स्थित [illegible] तहसील
[कठोली] की पत्थरगढ़ी किये जाने का प्रस्तुत
किया है। जिसमें प्रार्थीगण ने कह बताया कि
अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि
का कब्जा नहीं छोड़ने की शिकायत करते
हुए विवाद होना बताया है। प्रार्थीगण द्वारा
भूमि के चारों तरफ स्थित आराजीयात के खातेदारों
को अप्रार्थीगण बनाया है एवं प्रार्थीगण व
अप्रार्थीगण में भूमि कब्जे का विवाद होना

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी हु
	प्रार्थी पक्ष के तथ्यों से प्रकट होता है। खातेदारान में कोई विवाद प्रार्थीगण व गैरसायलान के मध्य प्रकट नहीं होता है। अतः प्रार्थी पक्ष प्रार्थीगण तहसीलदार व पटवारी होने से ऐसे मौका विवाद नहीं होने से स्वीकार किया जाता है। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] नकल के बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	